दूरभाष/Telephone-2223251
2225766, 2224812

फैक्स /Fax – 0612-2221056
तार Tele | Gram : ACCOUNTS

सत्यमेव जयते

प्र0 महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना

OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

कार्यालय ... डायरी सं. 2172
17 DEC 2021
हस्ताक्षर
उत्तराखण्ड, देहरादून

No. संख्या :– Pen-9 – 1006
Date: दिनांकः– 25/11/2021

To,
The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403001
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E),, Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh , Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground , Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr, Accountant General (A&E), Maharashtra , 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector- 17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

पेंशन 3 17/12/21

DR – 58
Date - 23-12-2021

23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
28	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.-2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No:- 6599 - 6600 dt. 27-09-2021 & Registar (Est.) S/C High court patna - memo No. 37407-11 7530 dt. 09-11-2021 dt. 31-08-2021.

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully

Sumal 15/11/2021

Sr. Accounts Officer

संख्या–3ए–2–वे०पु०–(भ०)–08/2013–.../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:________/2021

विषयः– **पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/1/2020-E-II(B), दिनांक–20/07/2021 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–5422, दिनांक–19/08/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/4/2021-E-II(B) दिनांक–25/10/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि–

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई राहत दिनांक–01/07/2021 से भुगतेय है और बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान माह **नवम्बर, 2021** के पेंशन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह **जुलाई, 2021** से आकलित बकाये राशि का भुगतान इसके पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

A.G.B. 12 NOV 2021 PATNA

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०(भ०)–08/2013–7530/**वि०** पटना, दिनांकः–09-11-2021

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

पत्रांक–3ए–2–वे०पु०–(भ०)–08 / 2013–______________________/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–__________

विषयः– पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०–8951, दिनांक–11.11.2019 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक–01.07.2019 के प्रभाव से 312 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक–1/3/2008-E-II(B), दिनांक–13.08.2021 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/भत्ते प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 312 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 356 प्रतिशत की स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि–

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक 01.01.2006 के पूर्व एवं दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक–01.07.2021के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया जाय।

3A\DA Un.-312% Jul 2021/Anil

(iii) महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

(iv) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:–3ए–2–वे०पु०(भ०)–08/2013–6600/वि०　　पटना, दिनांक:–27-09-2021

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

A.G.B.
29 SEP 2021
PATNA

Letters Should be Addressed to Registrar by Name

GE-07 7r - NC - 49

Gen-106 / 15/2

(P.H.C. Sch. 1-7 A) No. /Accounts

Anamika T.
Registrar (Establishment) I/c
HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Fax No. : 0612-2504088
Ph. Office : 0612-7158651

Dated Patna the /08/2021

To

The Secretary (Resources),
Finance Department,
Govt. of Bihar, Patna.

Sub- Sanction of 28% Dearness Relief in place of 17% w.e.f. 01.07.2021 admissible to the Pensioners/Family Pensioners of the State Govt. getting pension in revised pay structure.

Sir,

With reference to para-8 of the Resolution issued under Memo no. 5422/F dated 19.08.2021 on the subject noted above, I am directed to inform you that Hon'ble the Chief Justice has been pleased to accord concurrence to the decisions of the State Govt. as contained in the aforesaid resolution for its implementation in respect of the Pensioners/Family Pensioners of Patna High Court, Patna who are getting pension in revised pay structure.

This is for your information and necessary action.

Yours faithfully,

Sd/- Anamika T.

Registrar (Establishment)I/c

finally to pen-01 10/09

31-8

Memo No. 37407-11 /Accounts, Dated, Patna the 31 /08/2021

Copy forwarded to the Accountant General (A & E), Bihar, Birchand Patel Path, Patna/Senior Accounts Officer (GM-9), Office of the Accountant General (A & E), Bihar, Birchand Patel Path, Patna/Treasury Officer, Patna Secretariat Treasury, Sinchai Bhawan, Patna/Section Officer, I/c Accounts (General) Department, High Court, Patna & D.A. I/c Pension Table, AD (Establishment), Patna High Court, Patna (with a copy of Resolution bearing memo no. 5422/F dated 19.08.2021) for information and necessary action.

Anamika

Registrar (Establishment)I/c

GER

as relates to NE-06 Nes 08/09

GE-07

0921HOS91

2092100000

Pension 9-6-628 (21-22) (4)

संख्या–3ए–2–वे०पु०–(भ०)–08 / 2013–.../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–____________

(ए)

विषयः– **षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०–8952/वि०, दिनांक–11.11.2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक–01.07.2019 के प्रभाव से 164 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/3/2008-E-II(B) दिनांक–13.08.2021 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि:–

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा ।

(iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

CK 08/10/21

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०(भ०)–08/2013–6599/वि० पटना, दिनांकः–27-09-2021

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04 OCT 2021

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

27/9/2021

A.G.B.
29 SEP 2021
PATNA

051021 H0740

300921 H0171